निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 545) पटना, शुक्रवार, 8 जून 2018

गृह विभाग

प्रपत्र सं0-1

(बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)

घोषणा

3 जनवरी 2018

सं० बी0/आ0अ0ई0-05/2016-51—चूँकि यह अभिकथित किया गया है कि **श्री मिथिलेश कुमार, पिता-श्री जंग बहादुर राम, ग्राम-राजपुर, थाना-राजपुर, जिला-बक्सर, वर्तमान पता-सी0/20, अभियंता नगर, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना-800025 ने बिहार राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज में कार्यपालक अभियंता** का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच आर्थिक अपराध **थाना कांड सं0-06/2013, दिनांक 19.02.2013** धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में की गई है;

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि **श्री मिथिलेश कुमार, पिता-श्री जंग बहादुर राम, ग्राम-राजपुर, थाना-राजपुर, जिला-बक्सर, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार** जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधी पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

3 जनवरी 2018

सं० बी0/आ0अ0ई0–05/2016–51 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 3rd January 2018

FORM No. 1

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010)

DECLARATION

सं० बी0/आ0अ0ई0–05/2016–51—WHEREAS, It was alleged that **Sri MITHILESH KUMAR, S/O Sri Jang Bahadur Ram, Vill-Rajpur, P.S.-Rajpur, Dist-Buxar, A/P-C-20, Abhiyanta Nagar, P.S.-Rajeev Nagar, Distt-Patna-800025** while holding the post of the **Executive Engineer, Rural Works Division, Gopalganj, Department of Rural Works, Govt. of Bihar** and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Economic Offences Unit P.S. Case No. **06/2013**, dated. **19.02.2013,**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned offence by the said **Sri MITHILESH KUMAR, S/O Sri Jang Bahadur Ram, Vill-Rajpur, P.S.-Rajpur, Dist-Buxar, Executive Engineer, Rural Works Division, Gopalganj, Department of Rural Works, Govt. of Bihar** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 545–571+100–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in